

महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय मध्य प्रदेश, ग्वालियर 474002
O/o The Accountant General (Audit-I) Madhya Pradesh, Gwalior
474002

क्र./प्रशासन12/वेतन निर्धारण/का.आ.

दिनांक-23.05.2026

कार्यालय आदेश/Office order-45

क्र./प्रशा.12/स 5/E-327945/कार्यग्रहण/का.आ.199 दिनांक 29.01.2026 के अनुपालन में निम्नलिखित कार्मिकों को डी.ई.ओ ग्रेड "बी" के पद से लेखापरीक्षक के पद पर लेवल-5(रु 29,200-92,300) में पदोन्नति प्राप्त होने के फलस्वरूप उनका वेतन निर्धारण उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि एवं वेतन लेवल में निम्नानुसार किया जाता है-

In compliance with No./Admin.12/S 5/E-327945/Joining/O.O.199 dated 29.01.2026, the pay of the following personnel has been fixed as a result of promotion from the post of DEO grade "B" to the post of Auditor in Level-5 (Rs. 29,200-92,300) on the date and pay level shown against their names as follows:

क्र.	नाम पदनाम एवं स्थायी क्रमांक	घटना	दिनांक	वेतन लेवल	वेतन	नियम
1.	श्री मंजीत लाकड़ा Sh. Manjeet Lakra (04/11078)	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.07.2025	(लेवल-5)	रु 37000	के.सि. सेवा (पु.वे.) नियम, 2016 के नियम 10 एवं 13
		Promoted to Auditor	23.12.2025	(लेवल-5)	रु 37000	
					DNI 01.07.2026	
2.	श्री मनोज Sh. Manoj (04/11136)	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.01.2025	(लेवल-5)	रु 35900	
		Promoted to Auditor	23.12.2025	(लेवल-5)	रु 35900	
					DNI 01.01.2026	

(प्राधिकार- उप महालेखाकार/प्रशासन के आदेशानुसार)

हस्ता /-


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन 12
(वेतन निर्धारण कक्ष)

क्र./प्रशासन12/वेतन निर्धारण/का.आ.

दिनांक-23.05.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उपनिदेशक/लेखापरीक्षा वित्त एवं संचार, एनेक्सी, संचार भवन, बी.एस.एन.एल. कम्पाउन्ड, होशंगाबाद रोड, भोपाल।
2. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय म.ले. (ले. एवं हक.) प्रथम म.प्र. ग्वालियर।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी.ए., को इस आशय के साथ प्रेषित है कि मुख्यालय के परिपत्र संख्या 183-स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर./01.2022 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/03/2015-Estt. (Pay-I) 18/03/2015 दिनांक 03.10.2022 के बिन्दु 5(ii) के अनुपालन में यह वेतन निर्धारण आदेश जारी होने के 03 माह के भीतर यदि वेतन निर्धारण में कोई विसंगति है तो इस अनुभाग को तत्काल सूचित करें।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-14 |
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing को Internet/Intranet/Website संबंधी कार्य हेतु।
6. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11,12,13 एवं 14।
7. श्री यशवर्धन गुसा, स.ले.प.अ./प्रशासन-14 को Internet/Intranet संबंधी कार्य हेतु।
8. संबंधित कर्मचारी |
9. गार्ड फाइल।


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन 12
(वेतन निर्धारण कक्ष)